न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 72/2018 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2018/00374

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
हिम्मताराम गोद पुत्र अन्नाराम जाति मेघवाल, नि. सोनाईमांझी तहसील पाली जिला पाली		1. ग्राम पंचायत सोनाईमांझी जरिये सरपंच ग्रा.पं. सोनाईमाझी तह. व जिला पाली 2. श्रीमति मंजु पत्नी वेनाराम जाति मेघवाल नि. सोनाईमांझी, तह. व जिला पाली।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री पिताराम परिहार
अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र नारायण ओझा अनुपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 12-11-21

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत सोनाईमांझी द्वारा प्रस्ताव सूंख्या 03 दिनांक 21.03.2017, मिसल संख्या 145/2016–17 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 मंजु पत्नी वेनाराम मेघवाल के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 45 को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को तलब किया जाकर ग्राम पंचायत सोनाईमांझी का रेकर्ड तलब किया गया। एवं बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी दोनों ही गांव सोनाईमांझी में मेघवालों के मोहल्ले में अपने बाप दादा के समय से निवासरत है व अप्रार्थी मंजू का जेठूता भंवरलाल ग्राम पंचायत सोनाईमांझी में वर्तमान में उपसरपंच है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 के बीच पक्की दीवार पट्टा बनने से पहले शामलाती मे बनाई हुई है उसके बाद अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 2 मंजू के पक्ष में बिना भौतिक नाप चौक किये प्रार्थी के एक फुट चार इंच जमीन के अंदर का विक्रय विलेख जारी कर दिया। जो निरस्त योग्य है। प्रार्थी अपने परिसर में पक्का निर्माण करवाने पर अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत में आपत्ति दर्ज करवाई कि प्रार्थी पहले 1 फुट 4 इंच की जमीन का पहले प्रार्थी को कब्जा दे फिर निर्माण करे जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा जानबूझकर निर्माण की इजाजत नहीं दी गई। अप्रार्थीगण ने मिलावट कर बिना नाप चौक किये, बिना प्रार्थी को नोटिस दिये, बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये प्रार्थी की जमीन को अप्रार्थी के पट्टे में शामिल करते हुए विक्रय विलेख बनाया है जो निरस्त योग्य है। प्रार्थी द्वारा ग्राम विकास अधिकारी से मिसल संख्या 145/2016–2017 व पट्टे की नकल मांगने पर अप्रार्थी के व्यक्तिगत पट्टे के कागजात का हवाला देते हुए नकल देने से मना कर दिया जिस पर काफी मशक्कत व हाथाजोड़ी कर विक्रय विलेख की नकल प्राप्त की। ग्राम पंचायत द्वारा जानबूझकर नकले नहीं दिये जाने से स्पष्ट है कि उक्त जैर निगरानी पट्टा बिना विधिक प्रक्रिया को अपनाये जारी किया गया है जो निरस्त किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी की माता छोगी ने पूर्व में ग्राम पंचायत में उक्त परिसर का विक्रय विलेख बनाने हेतु आवेदन पेश किया था जिसकी मिसल कायम की गई व पट्टा बनाया गया लेकिन छोगी गरीब होने के कारण उसका विक्रय विलेख निरस्त कर दिया गया। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत से निर्माण की अनुमति हेतु आवेदन पेश करने पर ग्राम पंचायत के मुंशी जी द्वारा स्टाम्प पर लिखकर देने पर निर्माण की अनुमति देने का कथन किया। प्रार्थी निर्धन व गरीब है व बडी मुश्किल से अपने रहने के [illegible] बना रहा है। तथा प्रार्थी ने अपने परिसर में पिने के [illegible] की आवश्यकता नहीं हैं। ग्राम पंचायत [illegible] राज अधिनियम के नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है परन्तु ग्राम पंचायत [illegible] पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड उपलब्ध नहीं होने से [illegible] है कि उक्त पट्टा [illegible] विधिक प्रक्रिया का पालन किये जारी किया गया। अतः जैर निगरानी पट्टा निरस्त कराने के आदेश फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:34:00 IST
Reason: SelfAttested

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश.....................2

अधिवक्ता अप्रार्थी वक्त बहस अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थी को बार–बार आवाजें लगवाई गई। जिस पर उपस्थित नहीं होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली में गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना उचित प्रतित होता है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस निगरानी में विचारणीय बिन्दु 2 हैं :–

1. क्या टाईटल का निर्धारण किया जाना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है ?
2. क्या पट्टा जारी करते समय विधिक प्रक्रिया का पालन किया गया अथवा नहीं ?

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य टाईटल का विवाद है जबकि पंचायत राज अधिनियम की धारा 97 के अनुसार इस न्यायालय द्वारा पट्टे की विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए जारी किया गया है अथवा नहीं केवल इसी का निर्णय किया जाना होता है। टाइटल से सम्बन्धित विवाद के सुनवाई व निर्णय का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है अतः टाईटल से सम्बन्धित विवाद होने से उक्त निगरानी इस न्यायालय में पोषणीय नहीं होने से जैर निगरानी पट्टा खारिज किया जाना न्यायोचित है। जबकि प्रार्थी द्वारा भी ऐसा कोई साक्ष्य सबूत अथवा दस्तावेज पेश नहीं किए गए है जिससे यह सिद्ध हो कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत द्वारा जरिये पत्र क्रमांक/ग्रा.पं.सो. /2020–21/46 दिनांक 22.07.2020 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि उक्त पट्टे से संबंधित मिसल प्रस्ताव रजिस्टर व पट्टा बुक ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं है अतः प्रस्ताव,मिसल व मूल पट्टा प्रति के अभाव में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करते समय प्रक्रिया का पालन किया गया अथवा नहीं यह फैसला किया जाना संभव नहीं है। अतः उक्त आधार पर जैर निगरानी पट्टा निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार की जाती है एवं ग्राम पंचायत सोनाईमांझी तहसील पाली द्वारा मिसल संख्या 145/2016–17, प्रस्ताव संख्या 03/21.03.2017 पालना में जारी जैर निगरानी पट्टा संख्या 45 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12-11-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:34:00 IST
Reason: SelfAttested